संख्या-7/2024/ 382 /58-1-2024-54-2099/42/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 14 फरवरी, 2024

विषय:- अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाई (टी0एच0आर0 यूनिट) की वर्तमान उत्पादन लागत अनुसार अतिरिक्त धनराशि (Gap Fund) को निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-17-उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों द्वारा टी0एच0आर0 उत्पादन हेतु लागत-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" मद में प्रावधानित धनराशि रु0 291.48 करोड़ से वायबिलिटी गैप फण्ड (V.G.F.) रु0 262.13 करोड़ (रुपया दो अरब बासठ करोड़ तेरह लाख मात्र) की धनराशि एकमुश्त स्वीकृत करते हुए शासनादेश संख्या-62/2023/3658/58-1-2023/54-2099/42/2023, दिनांक 21.12.2023 में विहित शर्तों/प्राविधानों सहित निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निवर्तन पर रखे जाने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है :-

(1) उक्त धनराशि जिस कार्यमद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा उक्त धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) को एकमुश्त स्थानान्तरित कर इसकी सूचना ग्राम्य विकास विभाग को दी जाय और UPSRLM द्वारा उक्त धनराशि अपने प्रशासकीय विभाग ग्राम्य विकास विभाग की गाइडलाइन के अनुसार नियमान्तर्गत व्यय की जायेगी। (3) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा उक्त धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए स्थानान्तरित की जायेगी।

(4) अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों की स्थापना एवं संचालन का कार्य ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संपादित किया जा रहा है । अत: निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा उक्त धनराशि का आहरण करते हुए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा। इस प्रकार योजना का प्रशासकीय विभाग होने के फलस्वरूप तकनीकी क्षमता एवं आवश्यक संसाधन ग्राम्य विकास विभाग में उपलब्ध हैं तथा अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों के संचालन की तकनीकी बारीकियों से पूर्ण रूप से भिज्ञ हैं । अत: अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों के द्वारा उत्पादित पोषाहार की लागत का विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) ग्राम्य विकास विभाग स्वयं के स्तर से करते हुए दरों के विषय में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे तथा वित्तीय मितव्ययता को सुनिश्चित करते हुए वायबिलिटी गैप फण्ड (Viability Gap Fund) की धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे ।

(5) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है । अत: बजट मैनुअल , वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/ गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि एवं पूर्व में दिये गये अग्रिम धनराशि का समायोजन अनिवार्य रूप से निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एवं अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप ससमय प्राप्त किया जायेगा ।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय लोकहित में हो और व्यय पर प्रभावी नियंत्रण हो । आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) प्रत्येक व्यय को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का अनुकरण करना होगा और सख्त मितव्ययिता बरतते हुए संवितरण अधिकारियों द्वारा समस्त संगत वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन किया जायेगा।

(14) गम्भीर अनियमितताओं वाले मामलों को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।

(15) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-217-X-2023-24, दिनांक 12-02-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2024/382(1)/58-1-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4.मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
8. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in